प्ररूप सं. 3कघ

[नियम 5कघ *देखिए*]

धारा 33कखक(2) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

भाग 1

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 33कखक(2) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट उस दशा में जहां किसी व्यक्ति के कारबार के लेखाओं की किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा की गई है

*मुझे/हमें यह रिपोर्ट करना है कि ....

[निर्धारिती का नाम और पता तथा [1][*स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक*]]

की कानूनी संपरीक्षा *मेरे/हमारे/मैसर्स .... द्वारा .... अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में की गई है, और *मैं/हम तारीख .... को समाप्त हुए वर्ष के संपरीक्षित *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय की विवरणी की एक-एक प्रति के साथ तारीख .... की संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति और साथ ही सुसंगत अधिनियम द्वारा लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय की विवरणी तथा तुलन-पत्र का भाग या संलग्नक घोषित किए गए दस्तावेजों को और तारीख .... को यथा विद्यमान संपरीक्षित तुलन-पत्र की एक प्रति संलग्न *करता हूं/करते हैं।

धारा 33कखक(2) के परंतुक के अधीन यथा अपेक्षित आगे की रिपोर्ट इस प्ररूप के भाग 3 में प्रस्तुत की गई है।

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तथा *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार इस प्ररूप के भाग 3 में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं।

स्थान ....

तारीख .... *हस्ताक्षरित*

***अकाउंटेंट*

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।

2. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय का उत्तर नहीं में अथवा सशर्त दिया गया है, वहां इस रिपोर्ट में उसके कारणों का उल्लेख होगा।

3. **यह रिपोर्ट निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा दी जानी है–

   (*i*) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थातर्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा; या

   (*ii*) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी राज्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों में संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का हकदार है; या

   (*iii*) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो किसी अन्य विधि के आधार पर सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए निर्धारिती के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए हकदार है।

भाग 2

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 33कखक(2) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट उस दशा में जहां किसी व्यक्ति के कारबार के लेखाओं की किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा नहीं की गई है

*मैंने/हमने .... के तारीख .... को यथा विद्यमान तुलन-पत्र और

[निर्धारिती का नाम और पता तथा [1][*स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक*]]

उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय की विवरणी की जांच की है, जो .... में स्थित मुख्यालय और .... में स्थित शाखाओं में रखी गई लेखा बहियों के अनुरूप है।

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

*मैंने/हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे। *मेरी/हमारी राय में, जहां तक लेखा बाहियों की *मेरे/हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है, नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती के मुख्यालय और शाखाओं ने समुचित लेखा बहियां रखी हैं:

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के और *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखाओं में निम्नलिखित के संबंध में सत्य और ठीक जानकारी दी गई है—

(*i*) तुलन-पत्र की दशा में तारीख.................... को ऊपर नामित निर्धारिती के कार्यकलाप की स्थिति की, और

(*ii*) *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय की विवरणी की दशा में तारीख .... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ऊपर नामित निर्धारिती के लाभ या आय का हानि की।

धारा 33कखक(2) के अधीन किए गए कटौती के दावे के सत्यापन के लिए अपेक्षित विशिष्टियां इस प्ररूप के भाग 3 में दी गई हैं। *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार भाग 3 में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं।

स्थान ....

तारीख ....   *हस्ताक्षरित*

***अकाउंटेंट*

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।

2. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय का उत्तर नहीं में अथवा सशर्त दिया गया है, वहां इस रिपोर्ट में उसके कारणों का उल्लेख होगा।

3. **यह रिपोर्ट निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा दी जानी है—

(*i*) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थातर्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा; या

(*ii*) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी राज्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों में संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का हकदार है।

भाग 3

धारा 33कखक के अधीन कटौती संबंधी दावे से संबंधित विशिष्टियों का विवरण

1. वे लेखा बाहियां जिनकी जांच की गई।

2. अपनाई गई लेखा पद्धति [कृपया विनिर्दिष्ट करें कि क्या पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति से कोई परिवर्तन किया गया है।]

3. क्या भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन के कारबार के संबंध में पृथक लेखा रखे गए हैं।

4. यदि ऊपर मद 3 का उत्तर हां में है तो कृपया धारा 33कखक के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित ऐसे कारबार के लाभ बताएं।

5. उस दशा में, जहां पृथक लेखा नहीं रखे जाते या उपलब्ध नहीं हैं, वहां कृपया निम्नलिखित उपदर्शित करें—

(*i*) भारत में पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन के कारबार के कुल विक्रय या आवर्त;

(*ii*) निर्धारिती के कारबार के कुल विक्रय या आवर्त;

(*iii*) धारा 33कखक के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित निर्धारिती के कारबार के कुल लाभ; और

(*iv*) भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन के कारबार का आनुपालिक लाभ।

6. स्कीम के अनुसार पूर्ववर्ष के अंत से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक में निक्षेप की गई रकम। [कृपया संबंधित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का खाता संख्यांक और निक्षेप की तारीखें और रकमें भी उपदर्शित करें।]

7. पूर्व वर्ष के दौरान स्कीम के अधीन खाते में जमा की गई ब्याज की रकम।

8. मद 6 में निर्दिष्ट खाते में से निकाली गई रकमें, रकम निकालने की तारीखों और रकमों सहित।

9. वह प्रयोजन जिनके लिए मद 6 में निर्दिष्ट रकमें निकाली गई थीं। [कृपया बताएं कि क्या ऐसा स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया गया है।]

10. ऊपर मद 8 में निर्दिष्ट निकाली गई रकमों में से उपयोग की गई रकमें, उस प्रयोजन और उन तारीखों से संबंधित ब्यौरों सहित, जिनके लिए और जिनको रकमों का उपयोग किया गया था।

11. कृपया बताएं कि क्या किसी रकम को धारा 33कखक(4) में निर्दिष्ट किसी मद के क्रय के लिए उपयोग किया गया है या उसका "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना करने में मोक के रूप में दावा किया गया है।

12. भारतीय स्टेट बैंक से निकाली गई ऐसी रकमें, जिन्हें पूर्व वर्ष के दौरान स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाया गया था।

13. क्या स्कीम के उपबंधों के अनुसार अर्जित किन्हीं आस्तियों का पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय या अन्यथा अंतरण किया गया है। यदि इसका उत्तर हां में है तो कृपया प्रत्येक आस्ति के संबंध में अर्जन की तारीख, विक्रय या अंतरण की तारीख, विक्रय या अंतरण के लिए प्रतिफल और ऐसे व्यक्ति का (व्यक्तियों के) नाम जिन्हें आस्ति का विक्रय या अंतरण किया गया था, पृथक् रूप से उपदर्शित करें।

14. धारा 33कखक के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय कटौती की रकम।

....

**हस्ताक्षरित*

टिप्पण :

1. ऊपर वर्णित "स्कीम" से स्थल प्रत्यावर्त्तन निधि स्कीम, 1999 अभिप्रेत है।
2. *रिपोर्ट का यह भाग, रिपोर्ट के भाग 1 या भाग 2 पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है।
3. कृपया इस रिपोर्ट के साथ लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय की विवरणी तथा तुलन-पत्र संलग्न करें। यदि भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन के कारबार के पृथक् लेखा रखे जाते हैं तो ऐसे कारबार के लिए पृथक् लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय की विवरणी तथा तुलन-पत्र संलग्न किए जा सकेंगे।